Shrimati Tara Sapre: Why is it that there is no such provision?

Shri B. S. Murthy: That is why we are asking hon. Members to help us in bringing a legislation.

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Shrimati Dr. Sushila Nayar—please hear her. She was not only Health Minister, she is a doctor herself.

An hon. Member: And a lady Member.

Dr. Sushila Nayar: Is it not a fact that all that is contemplated by the Shantilal Shah Committee is to enlarge upon the definition of health so that along with physical health and danger to life which permits abortion at present the Committee included certain aspects of mental health and other factors so that those on whom pregnancy has been forced and those who may become victims of disease, physical or mental, as a result of that pregnancy may have the option to have abortion

Shri B. S. Murthy: I accept the explanation given.

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Now we should go to the next question. "Road rollers" and "abortion" have taken the whole hour.

बिहार के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की सहायता

†

*1708. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 1 जनवरी, 1967 से 22 मई, 1967 तक पुस्तकों के रूप में अथवा वित्तीय सहायता के रूप में क्या सहायता दी गई; और

(ख) क्या उन्हें भविष्य में सहायता देने की कोई योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता सीधे नहीं करती, बल्कि सहायता-कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के लिए राज्य सरकारों को केवल वित्तीय सहायता देती है।

बिहार सरकार ने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के कालेजों और स्कलों के छात्रों से शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) न लेने की एक योजना भेजी थी और अनुरोध किया था कि इस योजना को केन्द्रीय सहायता के योग्य समझा जाय। योजना का उद्देश्य यह था कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के कालेजों और स्कूलों के ऐसे छात्रों से, जिन्हें वृत्ति (स्टाइपेंड) या छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) न मिलती हो और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 3000 रुपये से कम हो शिक्षण-शुल्क न लिया जाय। केंद्रीय सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में, शिक्षण शुल्क में छूट देने के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय के लिए तीन महीने की अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

श्री विभूति मिश्र : जो उत्तर दिया गया है उस में यह कहा गया है कि जिन के माता पिता की वार्षिक आय तीन हजार रुपये वार्षिक से कम है उनके बच्चों से शिक्षण शुल्क न लिया जाए। इसका मतलब यह है कि जिन की मासिक आय 250 रुपये है। जो शैड्यूल्ड कास्ट के छात्र नहीं या शैड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र नहीं है और जिन को छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं उन इलाकों में जहां पर ड्राट है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां के इन छात्रों के लिए किताबों के रूप में उनके खाने के रूप में फीस के रूप में सरकार कौन सी सहायता देना चाहती है? अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की देखभाल करना केन्द्रीय सरकार कि जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अकाल के सम्बंध में जो रिलीफ मैशर्ज इत्यादि होते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है केन्द्र की नहीं है। और साधारणतः केन्द्र यह सहायता नहीं किया करता है जो इस में दी गई है। लेकिन बिहार की असाधारण स्थिति को देखते हुए केन्द्र ने इस मामले में सहायता की है।

श्री विभूति मिश्र : हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस करना चाहिये। अगर बिहार गवर्नमेंट नहीं कर सकती है तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कांस्टीट्यूशन का पालन करे। मैं जानना चाहता हूं कि ड्राउट के कारण जो छात्र फीस नहीं दे पा रहे हैं क्या केन्द्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के वास्ते इस काम के लिए कुछ रुपया ईअरमार्क किया है, कुछ पैसा इसके लिए दिया है ताकि वे किताबें खरीद सकें, खाने पीने पर पैसा खर्च कर सकें। वहां पर भयंकर ड्राउट है और इस कारण से लड़के एडमिशन नहीं ले रहे हैं स्कूलों और कालेजों में। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बंध में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बिहार सरकार ने जो योजना भेजी थी वह ट्यूशन की एग्जेम्प्ट करने के बारे में भेजी थी। उन्होंने मांगें की थीं कि पांच महीने के लिए शिक्षण शुल्क में छट दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने तीन महीने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है, यह भार वहन करना स्वीकार कर लिया है। वहां से जहां तक मुझे मालूम है टैक्स्ट बुक्स इत्यादि के बारे में मांग नहीं आई है।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार ने जो स्कीम भेजी थी वह पांच महीने के लिए थी और तीन महीने के लिए आपने रुपया दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपये की मांग बिहार सरकार ने की थी और कितना रुपया आपने बिहार को दिया है या देने की स्वीकृति दी है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सूखा-ग्रस्त एरियाज में क्या छात्रों के भोजन के लिए भी कोई स्कीम बिहार गवर्नमेन्ट ने भेजी है यदि भेजी है तो उसके सम्बन्ध में आपने क्या मदद की है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पांच महीने के आधार पर 1 करोड़ 48 लाख की योजना बनती थी और तीन महीने के आधार पर चालीस लाख रुपये की योजना बनती है। मेरे पास जो सूचना है इसके अनुसार यह केवल ट्यूशन फीस की बात है। दूसरी चीजों के लिए मांग आई है या नहीं यह देखना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार सरकार ने अकाल की घोषणा अप्रैल महीने में की और उसने कहा है कि यह स्थिति सितम्बर तक जारी रहेगी। मंत्री महोदय ने अभी केवल तीन महीने तक फीस माफ करने की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो योजना बिहार सरकार ने बनाई है उसको देखते हुए क्या सरकार कुछ समय और बढ़ाने को तैयार है और इसके रास्ते में क्या कठिनाई है? क्या सरकार वहां की स्थिति को देखते हुए कुछ और समय या दो या तीन महीने के लिए इस सहायता को बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं और अगर नहीं है तो क्यों?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कठिनाई तो साधनों की ही है। जैसा मैंने पहले कहा है साधारणतः ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्र से पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार की असाधारण स्थिति को देखते

हुए यह पैसा दिया गया । बिहार में जो स्थिति इस वक्त चल रही है उसकी देखरेख हो रही है। एक ज्वायंट एमरजेंसी कमेटी फार बिहार है जो उसको देखती रहती है। वह देखती रहती है कि वहां क्या स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है।

श्री चंद्रिका प्रसाद : जो स्थिति बिहार में है वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मैं जानना चाहता हूं कि जो योजना आपने बिहार के लिए बनाई है वह क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी बनाई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह योजना नहीं है। बिहार ही के लिए है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : बिहार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की भांति ही क्या उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भयंकर अकाल है, वहां के विद्यार्थियों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने की कोई सम्भावना है? क्या यह प्रश्न भी विचाराधीन है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: विचाराधीन नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है प्रान्तीय सरकार से ऐसी कोई योजना नहीं आई है।

श्री गुणानन्द ठाकुर : (1) क्या केन्द्रीय सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी यह सहायता देने की बात सोच रही हैं; (2) बिहार सरकार ने छात्रों की जो तीन महीने की फीस माफ की है, क्या केन्द्रीय सरकार उस की पूर्ति करने जा रही है; (3) क्या सरकार यह मदद की रकम साल भर के लिए रखने का विचार रखती है; अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Last year, that is, in 1966-67, they had asked for Rs. 17,50,00,000 for help in this matter. We gave them Rs. 17,50,00,000. They spent Rs. 13,50,00,000. This year, up to July, they asked for Rs. 30 crores and that also is given; when more is asked for more is given. Therefore, there is no question of these things arising like this. But it is a question more for the State than for the Centre. It is they who have to deal with it. We cannot give them for the whole year or all that they want.

Mr. Speaker: Question Hour is over. Short Notice Question No. 44.

---

12 hrs.

Short Notice Question

Gandak Project

S.N.Q. 44. Shri Bibhuti Mishra: Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work of the Gandak Project has been practically stopped for want of funds;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the Central Government are contemplating to take over the Project from the State Government; and

(d) if so, by what time?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):(a) to (d). The work of the Gandak Project is going on at the same tempo as last year. Due to financial stringency, the progress on the project could not be further accelerated this year. The project will continue to be executed by the State Government and the Centre will provide such financial assistance as can be accommodated within the available resources.